UPVR010114812022

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम), वाराणसी।

पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार पंचम, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

आपराधिक वाद संख्या– 1403 सन् 2022 ई.

उत्तर प्रदेश राज्य——————————————————————————अभियोगी।

प्रति

1. भीषम सिंह चौहान पुत्र किशोरी सिंह चौहान निवासी ग्राम सुंगुलपुर थाना चौबेपुर, जिला वाराणसी।
2. नागेश्वर चौहान पुत्र गजराज चौहान निवासी ग्राम सुंगुलपुर थाना चौबेपुर, जिला वाराणसी।

——————————————————————————अभियुक्तगण।

अपराध सं0– 253/2013
अंतर्गत धारा–135 विद्युत अधिनियम
थाना– चौबेपुर, जनपद–वाराणसी

xxxxxxxxxxxxxxxxx

दिनांक–12–11–2022

1– पत्रावली आज **राष्ट्रीय लोक अदालत** में पेश हुई।

2– आवेदक/अभियुक्तगण **भीषम सिंह चौहान** व **नागेश्वर चौहान** के विरूद्ध दिनांक 08.08.2013 को विद्युत दल द्वारा अवैध रूप से विद्युत का उपभोग किये जाने के आधार पर अंतर्गत धारा 135 विद्युत अधिनियम का अभियोग पंजीकृत हुआ। बाद विवेचना प्रेषित आरोपपत्र पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया। यदि अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध व्यवहार उत्तरदायित्व शेष है तो उस पर कोई मत व्यक्त नहीं किया जा रहा है। सुनवायी के स्तर पर आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा अपने बयान मुल्जिम में अपराध की संस्वीकृति किये जाने का कथन किया गया।

3– आवेदक/अभियुक्तगण **भीषम सिंह चौहान पुत्र किशोरी सिंह चौहान व नागेश्वर चौहान पुत्र गजराज चौहान** को संस्वीकृति के आधार पर धारा 135 विद्युत अधिनियम के अभियोग से दोषसिद्ध किया जाता है।

दण्डादेश

1– अभियुक्तगण **भीषम सिंह चौहान व नागेश्वर चौहान** को आरोपित अपराध धारा 135 विद्युत अधिनियम के अंतर्गत क्रमशः अंकन– **7000/–रूपये (सात हजार रूपये) व 4000/–रूपये (चार हजार रूपये)** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की धनराशि अदा न करने पर अभियुक्त को 1 माह के साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

2– अभियुक्तगण पर अधिरोपित उक्त अर्थदण्ड या दण्डादेश का कोई प्रभाव विद्युत विभाग के प्रति उसके व्यवहार उत्तरदायित्व पर नहीं पड़ेगा। विद्युत विभाग अभियुक्तगण पर पूर्व अथवा वर्तमान बकाया/देय को नियमानुसार वसूल करने के लिए अधिकृत/स्वतंत्र होगा।

दिनांक–12–11–2022

(अनिल कुमार पंचम)
विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधि0)
वाराणसी। U.P.6045

Digitally signed by Anil Kumar-V
Date: 2022.12.14 13:14:55 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

उक्त निर्णय व आदेश आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक—12—11—2022

(**अनिल कुमार पंचम**)
विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधि0)
वाराणसी। U.P.6045

rohit shukla_steno